

अत्यावश्यक
पंचायत आम निर्वाचन, 2021

पत्रांक - पं0नि0 30-10/2019 - १०५
प्रेषक,

योगेन्द्र राम,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)



राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पटना, दिनांक - २६/२/२१

विषय : पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित्त मतदान सामग्रियों की व्यवस्था के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के निमित्त मतदान सम्पन्न कराने हेतु विभिन्न मतदान सामग्रियों की व्यवस्था की जानी है। मतदान मल्टी पोस्ट ई.वी.एम. के माध्यम से सम्पन्न कराये जायेंगे। ई.वी.एम. (बी.यू.सी.यू. एवं एस.डी.एम.एम.) आवश्यकतानुसार ससमय जिलों को आवंटित कर दिये जायेंगे। आयोग द्वारा निम्नांकित मतदान सामग्रियाँ आपूर्ति की जायेंगी :-

1. ई.वी.एम. पॉवर पैक;
2. अमिट स्याही;
3. मतदाता पंजी;
4. पीठासीन पदा. का हस्तपुस्तिका;
5. ऐड्रेस टैग (बी.यू. एवं सी.यू.);
6. वोटिंग स्टीक;
7. स्पेशल टैग;
8. स्ट्रीप सील;
9. ग्रीन पेपर सील एवं
10. मतगणना अनुदेश पुस्तिका।

उपरोक्त सामग्रियों के अतिरिक्त पत्र के साथ संलग्न मतदान सामग्रियों की सूची में से मेटल सील (पी.) एवं मेटल सील (आर.) के साथ-साथ संलग्न सूची की सामग्रियों को जिला स्तर पर क्रय/व्यवस्था की जानी है।

अनुरोध है कि मतदान सामग्रियों की व्यवस्था बिहार वित्त नियमावली का अनुपालन करते हुए ससमय करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,


सचिव २५/३/२०२१

-2-

ज्ञापांक- पं0नि0 30-10/2019 - १०५५

पटना, दिनांक - २६.२.२१

प्रतिलिपि, श्री राजेश कुमार, आई.टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
संचिवा

ज्ञापांक- पं0नि0 30-10/2019 - १०५५

पटना, दिनांक - २६.२.२१

प्रतिलिपि, सभी प्रमंडलीय आयुक्तों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
संचिवा

ज्ञापांक- पं0नि0 30-10/2019 - १०५५

पटना, दिनांक - २६.२.२१

प्रतिलिपि, अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव
संचिवा २५.१०.२१/२०२१

अधिकारी
२५.२.२१

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन द्वारा मतदान कराये जाने के निमित्त जिला स्तर से क्रय किये जाने वाले सामग्रियों की सूची

1. मतदाता सूची की वर्किंग प्रतियाँ	3
2. मतदाताओं की पर्ची	1 (निर्वाचकों की संख्या पर निर्भर)
3. मतपत्र (निविदत्त मतों के लिए)	20
4. स्टाम्प पैड (बैगनी पर्फल रंग)	1
5. पीठासीन पदाधिकारी की डायरी	1
6. मेटल सील (पी.)	1 (पीठासीन पदाधिकारी के लिए)
7. मेटल सील (आर.)	1 (निर्वाची पदाधिकारी के लिए)
8. माचीस	1
9. पहचान चिह्न का रबड़ स्टाम्प	1
10. वोटिंग कम्पार्टमेन्ट -	
मल्टी पोस्ट इ.वी.एम. (with SDMM) के एक बी.यू. के साथ सभी पटों के लिए अलग-अलग बैलेट यूनिट संलग्न होंगे। सभी बैलेट यूनिट को वोटिंग कम्पार्टमेन्ट के अन्दर रखा जाना इसके लिए अलग से इसकी विशेषियाँ समझ भेजी जायेगी।	
11. फार्म	
1. निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची	1
2. अभ्याक्षेपित मतों की सूची (प्रपत्र-20).	2
3. दृष्टिहीन/ निःशक्त मतदाताओं की सूची (प्रपत्र-18ख)	2
4. निविदत्त मतों की सूची(प्रपत्र -19)	2
5. रिकार्ड किए गए मतों के लेखा (भाग-1 एवं भाग-2)	10
6. चुनौती दिए गए मतों का शुल्क जमा करने के लिए रसीद पुस्तक	1
7. पीठासीन पदाधिकारी द्वारा अभ्याक्षेपित मतदान से संबंधित थाना प्रभारी का दिए जाने वाले शिकायत पत्र का प्रारूप	4
8. मतदान प्रारम्भ होने तथा मतदान समाप्त होने के पूर्व पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा (भाग-I, II, III एवं IV)	2
9. दृष्टिहीन/ निःशक्त मतदाताओं के सहायक द्वारा घोषणा (प्रपत्र-18 क)	4
10. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति (प्रपत्र-16)	10
11. चेक लिस्ट	1
12. लिफाफे	
1. छोटे लिफाफों के लिए (सांविधिक लिफाफे)	1
2. निर्वाचक नामावली की चिह्नित प्रति के लिए	1
3. निर्वाचक नामावली की अन्य प्रतियों के लिए	1
4. निविदत मतपत्र एवं निविदत मतदाता सूची के लिए	1
5. मतदान प्रारम्भ होने के पूर्व एवं मतदान की समाप्ति पर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा घोषणा के लिए	1

6. रिकार्ड किए गए मर्तों के लेखे के लिए	2
7. चुनौती दिए गए मर्तपत्रों की सूची के लिए	1
8. अव्यवहृत एवं कटे-फटे पेपर सीलों के लिए	1
9. मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति पत्रों के लिए	1
10. अंधे एवं शिथिलांग मतदाताओं की सूची के लिए	1
11. पीठासीन पदाधिकारी की डायरी के लिए	1
12. रसीद पुस्तक और नकद जब्ती के लिए	1
13. साथियों की घोषणा के लिए	1
14. छोटे लिफाफे के लिए (अन्य)	1
15. मतदाताओं के हस्ताक्षर लिए गए "मतदाता रजिस्टर" के लिए	1
16. अन्य संबद्ध कागजातों के लिए	1
17. छोटे लिफाफे के लिए	1
18. सादे लिफाफे	1
19. अव्यवहृत मर्तपत्रों के लिए	1
20. किसी ऐसे अन्य कागजात के लिए जिसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर मुहरबंद पैकेट में रखने हेतु निर्देश दें।	1
21. अव्यवहृत एवं क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग के लिए	1
22. अव्यवहृत एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रीप सील के लिए	1

(जहाँ लिफाफे आकार में छोटे हों वहां पैकिंग पेपर का उपयोग किया जा सकता है एवं जहां मुद्रित लिफाफे उपलब्ध नहीं हों, वहां सादे लिफाफे का उपयोग किया जा सकता है तथा उस पर लाल स्याही से प्रयोजन लिख दिया जाएगा)

13. प्रदर्शन पट (ए-4 साईज में)

- (क) पीठासीन पदाधिकारी
- (ख) मतदान पदाधिकारी
- (ग) प्रवेश
- (घ) बाहर
- (ङ) मतदान अभिकर्ता

14. लेखन सामग्री

1. सामान्य पेंसिल	1
2. बॉल पेन	3 नीला 1 लाल
3. सादा कागज	8 ताव
4. पिन	25 अदद
5. सील करने हेतु लाह	6 अदद
6. गोंद	1 बोतल
7. ब्लैड	1
8. मोमबत्ती	4
9. पतला दोहरा धागा	20 मीटर

10. धातु की पटरी	1
11. कार्बन पेपर	3
12. तेल आदि हटाने के लिए कपड़ा या चिथड़ा	3
13. पैकिंग पेपर	2 ताव
14. अमिट स्याही की बोतल को रखने के लिए कप/ खाली टिन/ प्लास्टिक का डिब्बा	1
15. ड्रबिंग पिन	24 अद्द
16. चेक लिस्ट	-----
17. रबड़ बैन्ड	20 अद्द
18. सेलो टेप	1

टिप्पणी -

(1) मतदान के पश्चात उपर्युक्त सामग्रियों में से निम्नलिखित बची हुई सामग्रियां जिला निर्वाचन कार्यालय को लौटा दी जानी चाहिए :-

- (क) स्टाम्प पैड
- (ख) पीठासीन पदाधिकारी की धातु की मुहर
- (ग) प्लास्टिक स्टिक मुहर
- (घ) वोटिंग कम्पार्टमेन्ट
- (ड) धातु की पट्टी
- (च) प्रभेदक रबड़ मुहर
- (छ) अमिट स्याही का कप
- (ज) अन्य वस्तुएं जिनको पुनः उपयोग में लाया जा सकता है

(2) ऐसी कोई आवश्यक सामग्री जो मूलतः नहीं आपूर्ति की जा सकती हो अथवा अपरिहार्य कारण से उसकी जरूरत पड़ जाए, तो पीठासीन पदाधिकारी उसी स्थान पर व्यवस्था कर ले सकते हैं और यदि व्यय करना पड़े तो व्यय भार सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। स्पष्ट है कि ऐसा अवसर विरल होता है।

9

